52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–263–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–01–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–262/अपील/2006–07

.....

मुस0 रामवती बेवा अनुसुइया प्रसाद द्वारा
मुख्त्यारआम राकेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी–ग्राम चंदिया तहसील बांधवगढ़
जिला–उमरिया(म0प्र0)

–––––आवेदक

विरूद्ध

1– शिवगोविन्द शुक्ला पुत्र श्री जुडामनराम (मृतक) वारिसान–

1. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 शिवगोविन्द शुक्ला
2. निर्मला
3. ममता, पुत्रियां स्व0 शिवगोविन्द शुक्ला

निवासीगण– चंदिया तहसील बांधवगढ़,
जिला–उमरिया(म0प्र0)

–––––––अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11-01-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–01–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बड़वार पटवारी हल्का चंदिया राजस्व निरीक्षक मंडल चंदिया की नामांतरण पंजी क्रमांक 08 आदेश दिनांक 20.12.93 के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ ने आदेश दिनांक 22.11.06 से विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.06 को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 10.01.2008 से अपील स्वीकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.06 निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आबेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष बिक्री पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा रुपये 100/– से अधिक की बिक्री होने से सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1908 की धारा 54 के अंतर्गत कच्ची टीप के रजिस्टर्ड कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो कि विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रक्रिया विधि की मनसा के अनुरूप नहीं है। जहॉ तक आवेदिका के अभिभाषक द्वारा उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदिका के फर्जी हस्ताक्षर नामांतरण पंजी पर किये है, इस सम्बध में तो जांच किया जाना आवश्यक थी। विचारण न्यायालय सहित द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष एवं सकारण आदेश पारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक अनावेदकगण के अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय में आवेदिका की ओर से अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी । यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदिका की ओर से उनके मुख्त्यारआमा राकेश कुमार शर्मा द्वारा विधिवत अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही अपील के साथ मुख्त्यारनामा की छायाप्रति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जहॉ तक अनुविभीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण पंजी पर आवेदिका के हस्ताक्षर के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकालते हुये अपील स्वीकार की है। यदि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई तब उन्हें विधिवत हस्तलिपि विशेषज्ञ से उक्त हस्ताक्षर की जांच कराना चाहिये था, जो कि नहीं किया

गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस बिन्दु पर उचित नहीं कहा जा सकता हे।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदान बांधवगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम हस्तलिपि विशेषज्ञ से आवेदिका के हस्ताक्षर की जांच कराये तब उपरांत यदि हस्ताक्षर सही पाया जाते है तो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1908 की धारा 54 के अंतर्गत अपंजीकृत दस्तावेज को पंजीकृत कराने की कार्यवाही करायें। पंजीकृत उपरांत ही नामांतरण नियमों की प्रक्रिया का पालन करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,